न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–112/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/112)

1. उदयमल सैन पुत्र श्री खीमराज सैन, जाति सैन, निवासी करणी नगर कॉलेज लिंक रोड़, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 14/2022

उपस्थितः–
1. श्री दिनेश कुमार साहु, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः–19.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 19.04.2022 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट ने वर्तमान रेस्पोडेंट के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, जिला अजमेर के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम ठीकरनामा मेंन्द्रातान पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 283 पुराना 352 खसरा नम्बर 192रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजी को वादी ने दिनांक 26.08.2015 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बुद्धाराम पुत्र विभीषण जी लुहार से उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 192 में निहित 1/8 हिस्सा का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा खरीद किया था तथा बरोज खरीद उक्त हिस्से पर वादी कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2015 की पालना में अपीलांट के पक्ष में 1/16 हिस्से का नामांतरण संख्या 1878 दिनांक 21.12.2015 की पालना में अपीलांट के पक्ष में 1/16 हिस्से का नामांतरण संख्या 1878 दिनांक 21.12.2015 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी संवत 2069–2072 में अंकन किया गया। परंतु पश्चातवर्ती ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2073 से 2076 बनाते वक्त सेटलमेंट कर्मचारियों ने सहवन से अपीलांट के 1/16 हिस्से के स्थान पर 1/32 हिस्सा अंकित कर दिया। जिसे दुरूस्त करवाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट अधिकारी है का कथन करते हुए वाद पत्र बाबत् घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नाटिस जारी किए। तत्पश्चात प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया । जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम किए बिना आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उभय पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 19.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित आदेश निर्णय व डिक्री पारित कर वादी का वाद खारिज फरमा दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, जिला अजमेर ने विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 को पारित करते समय इस विधिक बिंदु को नजरअंदाज किया कि खसरा नम्बर 192 में से 1/16 हिस्से को वादी ने दिनांक 26.08.2015 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बुद्धाराम पुत्र विभीषण जी लूहार से उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 192 में निहित 1/8 हिस्सा का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा खरीद किया था तथा बरोज खरीद उक्त हिस्से पर वादी कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2015 की पालना में अपीलांट के पक्ष में 1/16 हिस्से का नामांतरण संख्या 1878 दिनांक 21.12.2015 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी संवत 2069–2072 में अंकन किया गया। परंतु पश्चातवर्ती ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2073 से 2076 बनाते वक्त सेटलमेंट कर्मचारियों ने सहवन से अपीलांट के 1/16 हिस्से के स्थान पर 1/32 हिस्सा अंकित कर दिया। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार सेटलमेंट विभाग को भूमि की किस्म, कृषकों के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त तथ्य के समर्थन में अपीलांट लिखित बहस के साथ निम्नलिखित विधिक दृष्टांत आर आर टी 2001 पार्ट 1 पेज 244 (एच सी), आर बी जे 2016 पेज 115, आर आर टी 2018 पार्ट 2 पेज 1030, आर आर डी 1969 पेज 231, आर आर डी 2018 पेज 341 भी प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिए सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में किए गए उक्त परिवर्तन को दुरूस्त करवाने का अपीलांट अधिकारी है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 पारित कर दिया। अपीलांट ने दिनांक 26.08.2015 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 192 में निहित 1/8 हिस्सा का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा खरीद किया था तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2015 की पालना में अपीलांट के पक्ष में 1/16 हिस्से का नामांतरण संख्या 1878 दिनांक 21.12.2015 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी संवत 2069–2072 में अंकन किया गया और उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आज भी प्रभाव में है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया गया है। इसलिए विधिक प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में किए गए इंद्राज को जब तक निरस्त या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रभाव में है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है। इसलिए बिना किसी न्यायालय या सक्षम आदेश के सेटलमेंट विभाग को राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त तथ्य के समर्थन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट लिखित बहस के साथ निम्नलिखित विधिक दृष्टांत आर आर डी 2002 पेज 723, आर आर डी 2002 पेज 724 आर आर डी 1983 पेज 676 भी प्रस्तुत कर रहा है जिसमें भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना चाहिए था। एक तरह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को ही निष्प्रभावी घोषित कर दिया है। जबकि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वैधानिकता तय करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अपीलांट का 1/16 हिस्से के स्थान पर 1/32 हिस्सा अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 पारित कर दिया। अपीलांट /वादी ने अपने दावे को सावित करवाने के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2015, नामांतरण संख्या 1878 दिनांक 21.12.2015 जमाबंदी संवत 2069–2072 जमाबंदी संवत 2073–2076 जमाबंदी संवत 2041 से 2072 तक की नकल एवं अन्य समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेजात प्रस्तुत किए थे एवं गवाह छीतरमल, बरतीराम तथा स्वयं के बयानात करवा कर अपने दावे का बखूबी साबित किया था तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किए जाने में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं थी तथा तहसीलदार द्वारा भी अपने जवाब के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में अपीलांट के नाम के आगे हिस्सा 1/16 हाथ से अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है। जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था तो दावे तथा जवाब दावें के आधार पर तनकीया कायम की जाकर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किए आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 पारित किया है। उक्त तथ्य के समर्थन में अपीलांट लिखित बहस के साथ निम्नलिखित विधिक दृष्टांत आर आर टी 2011 पार्ट 1 पेज 93 आर आर टी 2011 पार्ट 1 पेज 137 आर आर टी 2008 पार्ट 2 पेज 1090 आर आर टी 2011 पार्ट 2 पेज 1141 प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 19.04.2022 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को खारिज योग्य पाया जाने के कारण उचित रूप से दिनांक 19.4.2022 को खारिज किया है तथा उक्त अपील में किसी प्रकार का विधि बल ना होने के कारण उक्त अपील को इसी स्तर पर निरस्त किया जाए।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया वाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/ अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बावत खातेदारी उदघोषणा एवं इंद्राज दुरूस्ती हेतु उक्त राजस्व वाद दिनांक 25.01.2022 को प्रस्तुत किया था जिस बावत प्रतिवादी संख्या 1 का दिनांक 29.03.2022 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था तथा राजस्व वाद एवं जवाब दावा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान कर उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद का तनकी वाद गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के आधार पर किसी भी प्रकार से तनकीयात कायम नहीं कर उक्त निर्णय दिनांक 19.04.2022 पारित किया है इस प्रकार से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्णतः लागू होते हैं तथा अधीनरथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उक्त निर्णय दिनांक 19.04.2022 निरस्त योग्य पाया जाने से निरस्त किया जाकर पत्रावली को पुनः अधीनरथ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है वे दावे एवं प्रतिदावे के आधार पर विधि अनुसार तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनरथ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे दावे एवं प्रतिदावे के आधार पर विधि अनुसार तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनरथ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.11.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

1. निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर